UDSC

एक वर्षीय स्नातकोत्तर हिन्दी पत्रकारिता डिप्लोमा पाठ्यक्रम विवरणिका

One Year P.G. Diploma in Hindi Journalism

PROSPECTUS

2020-2021

हिन्दी विभाग

दिल्ली विश्वविद्यालय, दक्षिण परिसर

बेनितो जुआरेज़ मार्ग, धौला कुआँ, नई दिल्ली- 110021

प्रवेश प्रक्रिया

1. आवेदन-पत्र प्राप्त करने और
जमा करने की अवधि : 10 अगस्त 2020 से 20 सितम्बर 2020 तक

2. साक्षात्कार हेतु योग्यता अनुसार
वरीयता सूची प्रकाशित करने
की तिथि :

3.वरीयता सूची के अनुसार
साक्षात्कार की तिथि :

4. परीक्षा-फल प्रकाशन की तिथि :

5. नामांकन की तिथि :

6. कक्षा आरंभ होने की तिथि : क्रम 2,3,4,5,और 6 के संबंध में सूचना दिल्ली विश्वविद्यालय के वेबसाइट और विभाग के नोटिस बोर्ड पर सितंबर माह की स्थिति को देखते हुए 1 सितंबर को दी जाएगी.

प्रवेश-संबंधी पूछताछ

नाम: श्री जगदीश कुमार

दूरभाष: 9971192523

24111955, 24116753, 24116580

एक्सटेंशन 7289 (कार्यालय)

दिल्ली विश्वविद्यालय

कुलपति	:	प्रो. योगेश कुमार त्यागी
सम-कुलपति	:	प्रो. पी. सी. जोशी
अधिष्ठाता महाविद्यालय	:	डॉ. बलराम पानी
निदेशक, दक्षिण परिसर	:	प्रो. सुमन कुंडु
कुलसचिव	:	श्री सी. पी. राघव
वित्त अधिकारी	:	श्री कपिल अग्रवाल

संकाय सदस्य

मुख्य परिसर

प्रो. श्यौराज सिंह 'बेचैन' (अध्यक्ष)
प्रो. मोहन
प्रो. अपूर्वानंद
प्रो. कैलाशनारायण तिवारी
प्रो. पूरनचंद टण्डन
प्रो. कुमुद शर्मा
प्रो. सुधा सिंह
प्रो. अनिल राय
प्रो. कुसुम लता
प्रो. निरंजन कुमार
प्रो. चंदन कुमार

डॉ. संजय कुमार
डॉ. अल्पना मिश्र
डॉ. आशुतोष कुमार
डॉ. स्नेह लता
डॉ. रामनारायण पटेल
डॉ. मंजु मुकुल
डॉ. विनोद तिवारी

दक्षिण परिसर

प्रो. गोपेश्वर सिंह (प्रभारी)

डॉ. प्रेम सिंह

पत्रकारिता पाठ्यक्रम संचालन समिति

प्रो. गोपेश्वर सिंह
प्रो. श्यौराज सिंह 'बेचैन'
प्रो. सुधा सिंह
प्रो. कुमुद शर्मा
डॉ. प्रेम सिंह

प्रो. गोपेश्वर सिंह
प्रभारी एवं पाठ्यक्रम-संयोजक, दक्षिण परिसर

पत्रकारिता पाठ्यक्रम

शिक्षार्थियों की निरंतर बढ़ती संख्या को देखते हुए सत्तर के दशक में दिल्ली विश्वविद्यालय ने बहु-परिसर व्यवस्था की परिकल्पना की। परिणामस्वरूप सन् 1970 में दक्षिण परिसर की स्थापना हुई। इसकी स्थापना का एक उद्देश्य यह भी था कि चले आ रहे पाठ्यक्रमों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके और दोनों परिसरों को मिलाकर सारे पाठ्यक्रमों में विविधता लाई जा सके।

इसे ध्यान में रखते हुए दक्षिण परिसर में अनेक अंतः अनुशासनीय तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान पाठ्यक्रम आरंभ किए गए। दिल्ली विश्वविद्यालय, दक्षिण परिसर में सामाजिक विज्ञानों से संबद्ध विषयों का क्षेत्र-विस्तार किया है और इसी क्रम में 1995-96 सत्र से एक नया व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है- हिन्दी पत्रकारिता। इसके अंतर्गत चलता है- एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम। प्रसार माध्यमों के अभूतपूर्व विस्तार के इस युग में प्रशिक्षित मीडियाकर्मियों की जो महती आवश्यकता है, उसे तो यह पाठ्यक्रम पूरा करेगा ही, छात्र-छात्राओं के लिए यह आजीविका-संबंधी अनेक नई संभावनाएँ तथा अवसर भी प्रस्तुत करेगा।

प्रवेश की अर्हता और प्रक्रिया

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने के अधिकारी होंगे। 15 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति, 7.5 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति तथा 3 प्रतिशत विकलांग अभ्यर्थी के लिए आरक्षित होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग तथा

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण विश्वविद्यालय नियमानुसार दिया जाएगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश-अर्हता में विश्वविद्यालय के नियमानुसार छूट दी जाएगी।

प्रवेश के लिए 80 प्रतिशत भारांक (Weightage) स्नातक-परीक्षा में प्राप्तांकों को दिया जाएगा और 20 अंक साक्षात्कार को।

प्रवेश का सही-सही और पूरा भरा हुआ आवेदन-पत्र, प्रवेश-परीक्षा शुल्क रु. 450/- के डिमांड ड्राफ्ट (जो कि "निदेशक, दिल्ली विश्वविद्यालय दक्षिण परिसर" के पक्ष में देय हो) के साथ "कोर्स कोआर्डिनेटर, हिन्दी स्नातकोत्तर पत्रकारिता पाठ्यक्रम, दिल्ली विश्वविद्यालय दक्षिण परिसर, बेनितो जुआरेज़ मार्ग, नई दिल्ली-110021" के पास 31 अगस्त 2020 तक पहुँच जाना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक की सेवा शाखा (**कोड सं. 8778**) पर देय होना चाहिए। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश परीक्षा शुल्क रु. 300/- है।

आयु सीमा

प्रत्याशी की आयु 1 जुलाई 2020 तक कम-से-कम 20 वर्ष होनी चाहिए।

चयन-प्रक्रिया

साक्षात्कार में आने वाले प्रत्याशियों को अपना मार्ग-व्यय तथा अन्य खर्चे स्वयं वहन करने होंगे।

प्रवेश-समिति का निर्णय अंतिम होगा।

देय शुल्क	**रुपये**
1. प्रवेश शुल्क	15.00
2. शिक्षण शुल्क (250+250 रु. : एक-प्रवेश के समय, दूसरा-दिसंबर, 2020 में)	500.00
3. विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	150/100.00
4. वाचनालय शुल्क	20.00
5. पुस्तकालय शुल्क	20.00
6. क्रीड़ा-खेलकूद शुल्क	20.00
7. छात्र-कल्याण शुल्क	20.00
8. पत्रिका शुल्क	20.00
9. पहचान-पत्र	5.00
10. विश्वविद्यालय विकास शुल्क	600.00

11. पुस्तकालय डिपॉजिट (पाठ्यक्रम छोड़ने के एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय)	1000.00
12. पुस्तकालय विकास शुल्क	300.00
13. सांस्कृतिक विकास शुल्क	5.00
14. एसोसिएश शुल्क	2000.00
15. पाठ्यक्रम सामग्री	2500.00
16. कम्प्यूटर सेवा	3000.00
17. पाठ्यक्रम विकास शुल्क	5000.00

(अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का देय शुल्क रु. 12,125/- है)

स्नातकोत्तर हिन्दी पत्रकारिता डिप्लोमा पाठ्यक्रम

दो सत्रों में विभाजित इस पाठ्यक्रम की अवधि कुल एक वर्ष की होगी।

कुल 10 प्रश्नपत्र होंगे। सभी प्रश्नपत्र 100 अंकों के होंगे। (लिखित परीक्षा 75 अंक + टर्म पेपर 10 अंक + सेमिनार पेपर 15 अंक = 100 अंक)

प्रश्नपत्र की योजना निम्नलिखित क्रम में होगी:

प्रथम सत्र:

प्रश्नपत्र- 1 - संचार, जनसंचार, जनमाध्यम : स्वरूप और अवधारणा
प्रश्नपत्र- 2 - हिन्दी पत्रकारिता का परिप्रेक्ष्य
प्रश्नपत्र- 3 - समाचार, विज्ञापन और जनसंपर्क
प्रश्नपत्र- 4 - रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा
प्रश्नपत्र- 5 - संपादन कला

द्वितीय सत्र:

प्रश्नपत्र- 6 - जनसंचार और कानून
प्रश्नपत्र- 7 - सूचना तकनीक और इंटरनेट
प्रश्नपत्र- 8 - विकास मूलक पत्रकारिता
प्रश्नपत्र- 9 - प्रकाशन/संपादन का व्यावहारिक अभ्यास तथा अनुभव
प्रश्नपत्र- 10 - प्रोजेक्ट रिपोर्ट

योजना-लेख का विषय प्रभारी शिक्षक की सलाह से तय किया जाएगा। प्रश्नपत्र 10 में मीडिया से जुड़े किसी एक पहलू को लेकर 100 पृष्ठों की शोध रिपोर्ट तैयार करनी होगी।

- योजना-लेख में मूल्यांकन का आधार-बिन्दु होगा:

1. प्रकाशन के योग्य होना;
2. शोधपरकता, तथ्य का सही होना;
3. पत्रकारिता की तकनीक का प्रयोग।

- योजना-लेख का मूल्यांकन किसी पत्रकार/प्राध्यापक से कराया जाएगा।

  प्रत्येक प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने के लिए 45 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य है। पूर्ण योग (Grand Total) में उत्तीर्ण होने के लिए 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं।

  प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिए 60 प्रतिशत या अधिक अंक और शेष उत्तीर्ण परीक्षार्थी द्वितीय श्रेणी के अधिकारी होंगे।

किसी भी प्रश्नपत्र में 45 प्रतिशत से कम अंक पाने पर परीक्षार्थी दूसरे सत्र में फिर से उस प्रश्नपत्र की परीक्षा दे सकेगा। किसी भी प्रश्नपत्र में अंक सुधार के लिए भी परीक्षार्थी दुबारा आगे के सत्रों में परीक्षा देने का अधिकारी हो सकेगा।

कोई भी अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में प्रवेश के 2 साल पूरे हो जाने के बाद परीक्षा में बैठने का अधिकारी नहीं होगा। जो विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं होंगे, वे एक्स-स्टूडेंट की तरह परीक्षा दे सकेंगे। वे नियमित विद्यार्थी नहीं होंगे।

रोज़गार की संभावनाएँ

इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए सरकारी तथा अन्य क्षेत्रों में अनेक संभावनाएँ हैं जिनमें समाचारपत्र, एलेक्ट्रोनिक मीडिया, विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएँ, समाचार एजेंसियाँ तथा संस्थान, वीडियो पत्रिकाएँ, वेबसाइट्स-आकाशवाणी-दूरदर्शन, जनसंपर्क संस्थान आदि प्रमुख हैं। कई सरकारी तथा व्यापारिक संस्थान अपनी निजी पत्रिकाएँ भी निकालते हैं, जिनमें प्रशिक्षित पत्रकारों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। समाजशास्त्रीय शोध तथा शिक्षण कार्यक्रमों में भी प्रशिक्षित पत्रकार महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।

पुस्तकालय

दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर का पुस्तकालय अत्यंत समृद्ध है जिसमें विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से संबद्ध पुस्तकों का भंडार है। इसमें विशेषकर पत्रकारिता से संबद्ध पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। पुस्तकालय के पत्र-

पत्रिका विभाग में भी विभिन्न विषयों की पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं, जो शिक्षार्थियों के लिए अनेक रूपों में उपयोगी सिद्ध होंगी।

कम्प्यूटर कक्ष

पत्रकारिता की कक्षा में सिखाए गए पेज-मेकिंग इत्यादि के अभ्यास की सुविधा कम्प्यूटर कक्ष में उपलब्ध होगी।

पाठ्यक्रम का लक्ष्य

इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य शिक्षार्थियों को पत्रकारिता तथा अन्य संचार माध्यमों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है, ताकि वे इन क्षेत्रों में कुशलता और आत्मविश्वास के साथ कार्य करने की क्षमता अर्जित कर सकें। इसके मुख्य लक्ष्य हैं शिक्षार्थियों को-

- हिन्दी पत्रकारिता की परंपरा से परिचित कराना।
- पत्रकारिता से संबद्ध विभिन्न कौशलों- समाचार-संकलन, समाचार-लेखन, फीचर-लेखन, प्रूफ-पठन, संपादन आदि का गहन ज्ञान कराना।
- व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षार्थियों को कार्य-क्षेत्र का यथार्थ अनुभव कराना।
- व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से उनकी क्षमताओं और संभावनाओं का विकास करना।

शिक्षण पद्धति

इस पाठ्यक्रम में पत्रकारिता के सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक, दोनों ही पक्षों को समेटा गया है। प्राध्यापकों के रूप में प्रतिष्ठित एवं अनुभवी पत्रकारों की उपस्थिति के कारण विषय के सभी पक्षों को पूरी गहराई और विस्तार से समझना संभव होगा। सिद्धांत पक्ष की कक्षाओं के साथ ही परिचर्चाओं, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, विशेषज्ञों के व्याख्यानों तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से समग्र शिक्षण की व्यवस्था की गई है।

सत्रांत प्रशिक्षण

पत्रकारिता-संबंधी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम के शिक्षार्थियों को सत्रांत में किसी प्रतिष्ठित, मान्यता-प्राप्त अखबार/चैनल/संस्थान में प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है।

पाठ्यक्रमेतर गतिविधियाँ

शिक्षार्थियों के बहुमुखी विकास के लिए अनेक पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों की योजना है। विशेष व्याख्यानों तथा संगोष्ठियों के आयोजन द्वारा उन्हें इस क्षेत्र के मूर्धन्य व्यक्तियों के संपर्क में आने का अवसर मिलेगा।

वाद-विवाद प्रतियोगिताओं के माध्यम से वे अपनी प्रस्तुति, विवेचन-शक्ति तथा वक्तृत्व-शक्ति को संवार सकते हैं। समय-समय पर कार्यशालाओं के आयोजन तथा संचार माध्यमों के कार्यक्षेत्रों में जाकर वे अपनी जानकारी को यथार्थ से जोड़ सकेंगे। छात्रों के सहयोग से संपादित विभागीय संचार पत्र-प्रकाशन भी इस क्षेत्र में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

दक्षिण परिसर प्रशासन

संयुक्त कुल सचिव- प्रशासन	:	श्री एस. के. डोगरा
संयुक्त कुल सचिव- वित्त	:	----------
संयुक्त परीक्षा नियंत्रक	:	डॉ. नैयर राजू
पुस्तकालय प्रभारी	:	----------
कार्यालय परिचालक	:	श्री जगदीश कुमार